

Dated: 05.09.2025

IMPORTANT NOTICE (ELECTION 2025-28)

To put various queries to rest, the following information is necessitated:

1. **Eligibility for both nomination and voting** in the upcoming elections for the term **2025-2028** shall be determined strictly in accordance with the **Constitution of the Society**.
2. In consonance to the latest Amendment to the Constitution of the Society, a member elected through the election process shall not be permitted to hold any post for more than two consecutive terms. After completing two consecutive terms, a mandatory break of one term will be required before the individual becomes eligible again. **However, it is expressly stated in the latest Amendment of the Society that the provision shall be applicable from the 2025-2028 term onward.**
3. Trustees are advised to carefully review the relevant provisions of the Constitution to ensure full compliance.
4. Supply of the Copy of the Constitution is not within the domain of the office of the Returning Officer.



SEEMA MAINI
PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE (RETD.)
RETURNING OFFICER
SHREE AGGARSAIN NORTH-EX WELFARE SOCIETY (REGD.)

दिनांक: 05.09.2025

महत्वपूर्ण सूचना (चुनाव 2025-28)

विभिन्न शंकाओं को स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित जानकारी आवश्यक रूप से दी जा रही है:

1. आगामी कार्यकाल 2025-2028 के लिए नामांकन और मतदान दोनों की पात्रता सोसाइटी के संविधान के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी।
2. सोसाइटी के संविधान में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए किसी भी सदस्य को लगातार दो कार्यकाल से अधिक किसी भी पद पर बने रहने की अनुमति नहीं होगी। दो लगातार कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात, सदस्य को पुनः प्रत्याशी बनने से पहले एक कार्यकाल का अनिवार्य अंतराल (ब्रेक) लेना होगा। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्रावधान 2025-2028 के कार्यकाल से लागू होगा।
3. सभी ट्रस्टीगण से अनुरोध है कि वे संविधान की संबंधित धाराओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें ताकि पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
4. संविधान की प्रति की आपूर्ति रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।

Seema Maini

सीमा मैनी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)
रिटर्निंग ऑफिसर
श्री अग्रसेन नॉर्थ-एक्स वेलफेयर सोसाइटी (पंजी.)